एल-42- मूल्यन आधार (जीवन बीमा - व्यक्तिगत)
मूल्यन आधार पर अध्याय

ए. मूल्यन के लिए जरूरी पॉलिसी डाटा कैसे प्राप्त किया जाता है?

प्रत्येक पॉलिसी के मूल्यन के लिए जरूरी डाटा मण्डल कार्यालय में अनुरक्षित पॉलिसी मास्टर में शाखा वार निष्कर्षित किया जाता है। प्रत्येक पॉलिसी के लिए निष्कर्षित डाटा संगति के लिए जाँच किया जाता है तथा इस प्रयोजन के लिए विकसित सॉफ्टवेयर से मान्य किया जाता है। मान्य डाटा मण्डल कार्यालय में समेकित किया जाता है तथा आगे का समेकन क्षेत्रीय कार्यालय में उनके क्षेत्राधिकार के सभी कार्यालयों का किया जाता है। सभी फायलें केंद्रीय कार्यालय को आगे के प्रसंस्करण के लिए भेज दी जाती है।

बी. मूल्यन आधार सिस्टम को कैसे प्रदान किया जाता है?

एक बार जब मूल्यन पैरामिटर निर्णित कर लिए जाते है, उसे सिस्टम में एक्सप्लिसिट पैरामिटर सृजन के लिए, सिस्टम के संगत रूप में, कुंजीयत कर दिया जाता है। संचिति निकालने का प्रोग्राम दो फायलों यथा पैरामिटर फ़ाइल तथा पॉलिसी डाटा फ़ाइल से इनपुट लेता है।

I) ब्याज : प्रत्येक खंड के लिए ली गयी महत्तम तथा न्यूनतम ब्याज की दरें	**2018-19: 31.03.2019 को समाप्त तिमाही**	
	महत्तम	**न्यूनतम**
1. लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ	7.60% प्रति वर्ष	6.90% प्रति वर्ष
2. लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ	6.90% प्रति वर्ष	6.90% प्रति वर्ष
3. वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ	7.50% प्रति वर्ष	6.90% प्रति वर्ष
4. वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ	6.90% प्रति वर्ष	6.90% प्रति वर्ष
5. वार्षिकियाँ - व्यक्तिगत पेंशन प्लान	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष
6. यूनिट लिंक्ड	6.90% प्रति वर्ष	6.90% प्रति वर्ष
7. लिंक्ड हेल्थ	6.90% प्रति वर्ष	6.90% प्रति वर्ष
8. नॉन-लिंक्ड हेल्थ	6.10% प्रति वर्ष	6.10% प्रति वर्ष
II) मृत्यु दरें : प्रत्येक खंड के लिए प्रयुक्त मृत्यु दरें	**2018-19: 31.03.2019 को समाप्त तिमाही**	
1. लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ	आईएएलएम (2006-08) चरम का 135% (प्लान 843 के लिए 140%)	
2. लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ	आईएएलएम (2006-08) चरम का 135%	
3. वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ		
आस्थगन अवधि के दौरान	आईएएलएम (2006-08) चरम का 110%	
निहित होने के बाद	एलआईसी ए (1996-98) चरम 6 वर्ष कटौती के साथ	
4. वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ		
आस्थगन अवधि के दौरान	आईएएलएम (2006-08) चरम का 110%	
निहित होने के बाद	एलआईसी ए (1996-98) चरम 6 वर्ष कटौती के साथ	
5. वार्षिकियाँ - व्यक्तिगत पेंशन प्लान		
आस्थगन अवधि के दौरान	आईएएलएम (2006-08) चरम का 110%	
निहित होने के बाद	एलआईसी ए (1996-98) चरम 6 वर्ष कटौती के साथ	
6.नॉन-लिंक्ड हेल्थ (मृत्यु दर)	आईएएलएम (2006-08) चरम का 110%	
(अस्वस्थता दरें)	एचसीबी तथा एमएसबी : प्लान 903 तथा 904 के लिए स्विस-री अस्वस्थता दर का 135% प्लान 905: पुरुष - 40 वर्ष तक आरजीए पुनर्बीमा दरें का 130% तथा 41 एवं ज्यादा वर्ष के लिए 145%, महिला: आरजीए पुनर्बीमा दरें का 130%	
7. यूनिट लिंक्ड	आईएएलएम (2006-08) चरम का 135%	
8.लिंक्ड हेल्थ (मृत्यु दर)	आईएएलएम (2006-08) चरम का 110%	
(अस्वस्थता दरें)	एचसीबी तथा एमएसबी :म्यूनिक-री अस्वस्थता दर का 135%	

III) व्यय :	2018-19: 31.03.2019 को समाप्त तिमाही
1. लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ	
प्रीमियम संबंधित	वास्तविक कमीशन दर तथा
नव-व्यवसाय	प्लान 814,815,820,821,827,830,832,833,834, 836, 838, 841, 843, 844, 845, 847, 848, 853 के लिए 15% तथा 1.65% प्लान 851 के लिए
नवीकरण	प्लान 807,814,815,820,821,827,830,832,833,834,836, 838 841, 843, 844, 845, 847, 848 तथा 853 के लिए 0.03%, सूक्ष्म बीमा प्लान 182, 810 तथा 851 के लिए 0.03% तथा अन्य प्लान के लिए 2.30%
पॉलिसी संबंधित	
सूक्ष्म बीमा प्लान के लिए	₹ 450/-प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए ₹ 225/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए
अन्य प्लानों के लिए	₹ 725/-प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए ₹ 362.50/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम के लिए
2. लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ	
प्रीमियम संबंधित	वास्तविक कमीशन दर तथा
नव-व्यवसाय	प्लान 822,823 तथा 825 के लिए 16% सूक्ष्म प्लान 839 तथा 840 के लिए 1.65%
नवीकरण	प्लान 822,823 तथा 825 के लिए 0.03% सूक्ष्म प्लान 198,819,829,839 तथा 840 के लिए 0.03% अन्य अवधि बीमा प्लानों 43,52,153,164,177 तथा 190 के लिए 18.03% बीमा अकाउंट प्लान (805,806) के लिए 2% अन्य के लिए 2.30%
पॉलिसी संबंधित	
सूक्ष्म बीमा प्लान 198,819,829 तथा 840 के लिए	₹ 290/-प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए ₹ 145/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए
अन्य प्लानों (बीमा अकाउंट I तथा II सहित) के लिए	₹ 725/-प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए ₹ 362.50/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम के लिए
3. वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ	
वार्षिकियाँ भुगतान में	₹ 165/- प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष तथा ₹ 150/- दावा भुगतान के लिए
आस्थगन अवधि के दौरान	
प्रीमियम संबंधित	वास्तविक कमिशन दर तथा प्रीमियम का 2.30%
पॉलिसी संबंधित	₹ 725/- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 362.50/-प्रति पॉलिसी लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए
4.वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ	
वार्षिकियाँ भुगतान में	₹ 165/- प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष तथा ₹ 150/- दावा भुगतान के लिए
आस्थगन अवधि के दौरान	
प्रीमियम संबंधित	वास्तविक कमीशन दर तथा प्रीमियम का 2.30%
पॉलिसी संबंधित	₹ 725/- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 362.50/-प्रति पॉलिसी लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए
5. वार्षिकियाँ - व्यक्तिगत पेंशन प्लान	
वार्षिकियाँ भुगतान में	₹ 165/- प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष तथा ₹ 150/- दावा भुगतान के लिए

आस्थगन अवधि के दौरान	
प्रीमियम संबंधित	वास्तविक कमिशन दर तथा
नव व्यवसाय	प्रीमियम का 5%
नवीनीकरण	प्लान 812 तथा 818 के लिए प्रीमियम का 0.03% अन्य प्लानों के लिए (प्लान 812 तथा 818 को छोड़कर) प्रीमियम का 2.30%
पॉलिसी संबंधित	₹ 725/- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 362.50/-प्रति पॉलिसी लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए
6.नॉन-लिंक्ड हेल्थ	
प्रीमियम संबंधित	वास्तविक कमीशन दर तथा
नव व्यवसाय	प्लान 904 तथा 905 के लिए प्रीमियम का 20%
नवीकरण	प्लान 903 के लिए प्रीमियम का 18.03% तथा प्लान 904 एवं 905 के लिए प्रीमियम का 0.03%
पॉलिसी संबंधित	
नवीकरण	903 तथा 904 के लिए: मुख्य बीमित के लिए ₹ 950/- प्रति वर्ष तथा अन्य के लिए ₹ 475/- प्रति वर्ष 905 के लिए: ₹ 715/- प्रति वर्ष प्रति बीमित, दावा व्यय: ₹ 500/- प्रति वर्ष प्रति दावा, आय हितलाभ व्यय: ₹ 180/- प्रति वर्ष
7. यूनिट लिंक्ड	
प्रीमियम संबंधित	वास्तविक कमीशन दर तथा
नव व्यवसाय	प्लान 835 के लिए 7%
नवीनीकरण	सभी प्लानों के लिए 0.03%
पॉलिसी संबंधित	
पॉलिसियों के प्रथम वर्ष के लिए	₹ 3500/- प्रति पॉलिसी
चालू पॉलिसियों के लिए	₹ 935/- प्रति पॉलिसी
लघुकृत प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए	₹ 467.50/- प्रति पॉलिसी
8. लिंक्ड हेल्थ	
प्रीमियम संबंधित	
नवीकरण	वास्तविक कमीशन दर तथा प्रीमियम का 0.03%
पॉलिसी संबंधित	
प्रीमियम भुगतान के लिए (दावा संबंधित व्यय सहित)	₹ 960/- प्रति पॉलिसी
लघुकृत प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए (दावा संबंधित व्यय सहित)	₹ 480/- प्रति पॉलिसी
**प्रति पॉलिसी मुद्रास्फीति दर सभी प्लानों के लिए 3% प्रति वर्ष है।	
***कर दरें प्लानों के लिए लागू होने के अनुसार हैं।	
IV) बोनस दरें:	लाभ सहित पॉलिसियों के लिए, जहाँ कही लागू है, भविष्य के प्रत्यावर्ती बोनस का मान वर्तमान में 31.03.2019 के घोषित स्तर पर किया गया है। मूल्यांकित बोनस दरों में मूल्यन के दिनाँक यथा 31.03.2019 पर लागू टैक्स तथा अधिशेष में भारत सरकार का हिस्सा सम्मिलित है।
V) पॉलिसीधारक के उचित उम्मीदें:	भविष्य के बोनसो का मूल्यांकन वर्तमान घोषित दरों पर किया गया है।
VI)कराधान तथा शेयरधारक का स्थानांतरण	**2018-19: 31.03.2019 को समाप्त तिमाही**
1. लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ	14.56% तथा 5%
2. लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ	-------------
3. वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ	14.56% तथा 5%
4. वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ	-------------
5. वार्षिकियाँ - व्यक्तिगत पेंशन प्लान	टैक्स से छूट तथा 5%
6. यूनिट लिंक्ड	-------------
7. लिंक्ड हेल्थ	-------------
8. नॉन-लिंक्ड हेल्थ	-------------

VII) घटित लेकिन सूचित नही हुए के लिए (आइ.बी.एन.आर.) प्रावधान का आधार	-------------	
VIII) मूल्यन विधि या आधार में परिवर्तन	**2018-19: 31.03.2019 को समाप्त तिमाही**	
1. व्यक्तिगत बीमाएँ		
ए) लाइफ - सहभागी पॉलिसियाँ		
ए) ब्याज	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
बी) व्यय		
प्रीमियम संबंधित		
नव-व्यवसाय	कोई परिवर्तन नहीं	
नवीकरण	कोई परिवर्तन नहीं	
पॉलिसी संबंधित		
प्रीमियम भुगतान के लिए	सूक्ष्म बीमा प्लान में ₹ 15/- से वृद्धि तथा अन्य में ₹ 30/- से वृद्धि	
लघुकृत तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए	सूक्ष्म बीमा प्लान में ₹ 7.50/- से वृद्धि तथा अन्य में ₹ 15/- से वृद्धि	
सी) मुद्रास्फीति	कोई परिवर्तन नहीं	
बी) लाइफ - असहभागी पॉलिसियाँ		
ए) ब्याज	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
बी) व्यय		
प्रीमियम संबंधित		
नव-व्यवसाय	कोई परिवर्तन नहीं	
नवीकरण	कोई परिवर्तन नहीं	
पॉलिसी संबंधित		
प्रीमियम भुगतान के लिए	सूक्ष्म बीमा के लिए ₹ 10/- की वृद्धि तथा अन्य प्लानों के लिए ₹ 30/- की वृद्धि	
लघुकृत तथा पूर्ण प्रदत्त के लिए	सूक्ष्म बीमा के लिए ₹ 5/- की वृद्धि तथा अन्य प्लानों के लिए ₹ 15/- की वृद्धि	
सी) मुद्रास्फीति	कोई परिवर्तन नहीं	
2. वार्षिकियाँ तथा पेंशन		
ए) सहभागी पॉलिसियाँ		
ए) ब्याज	100 बेसिस पॉइंट की कटौती	कोई परिवर्तन नहीं
बी) व्यय		
वार्षिकियाँ भुगतान में	प्रति पॉलिसी के लिए ₹ 10 की वृद्धि तथा दावा भुगतान व्यय में ₹ 5 की वृद्धि।	
आस्थगन अवधि के दौरान	प्रीमियम संबंधित - कोई परिवर्तन नहीं पॉलिसी संबंधित - ₹ 30/-प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 15/- लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए वृद्धि	
सी) मुद्रास्फीति	कोई परिवर्तन नहीं	
बी) असहभागी पॉलिसियाँ		
ए) ब्याज	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
बी) व्यय		
वार्षिकियाँ भुगतान में	प्रति पॉलिसी के लिए ₹ 10/- की वृद्धि तथा दावा भुगतान व्यय में ₹ 5/- की वृद्धि।	

आस्थगन अवधि के दौरान	प्रीमियम संबंधित - कोई परिवर्तन नहीं पॉलिसी संबंधित - ₹ 30/-प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 15/- लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए वृद्धि	
सी) मुद्रास्फीति	कोई परिवर्तन नहीं	
सी) व्यक्तिगत पेंशन प्लान		
ए) ब्याज	10 बेसिस पॉइंट की कटौती	10 बेसिस पॉइंट की कटौती
बी) व्यय		
वार्षिकियाँ भुगतान में	प्रति पॉलिसी के लिए ₹ 10/- की वृद्धि तथा दावा भुगतान व्यय में ₹ 5/- की वृद्धि।	
आस्थगन अवधि के दौरान		
प्रीमियम संबंधित - नव व्यवसाय	कोई परिवर्तन नहीं	
प्रीमियम संबंधित - नवीनीकरण	कोई परिवर्तन नहीं	
पॉलिसी संबंधित	₹ 30/-प्रीमियम भुगतान के लिए तथा ₹ 15/- लघुकृत प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए वृद्धि	
सी) मुद्रास्फीति	कोई परिवर्तन नहीं	
3. नॉन-लिंक्ड हेल्थ		
ए) ब्याज	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
बी) व्यय		
प्रीमियम संबंधित		
नव व्यवसाय	कोई परिवर्तन नहीं	
नवीकरण	कोई परिवर्तन नहीं	
पॉलिसी संबंधित	मुख्य बीमित के लिए ₹ 40 की वृद्धि तथा अन्य के लिए ₹ 20 की वृद्धि	
सी) मुद्रास्फीति	कोई परिवर्तन नहीं	
4. यूनिट लिंक्ड		
ए) ब्याज	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
बी) व्यय		
प्रीमियम संबंधित	कोई परिवर्तन नहीं	
पॉलिसी संबंधित		
पॉलिसियों के प्रथम वर्ष के लिए	₹ 300/- से वृद्धि	
चालू पॉलिसियों के लिए	₹ 35/- से वृद्धि	
लघुकृत प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए	₹ 17.50/- से वृद्धि	
सी) मुद्रास्फीति	कोई परिवर्तन नहीं	
5. लिंक्ड हेल्थ		
ए) ब्याज	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
बी) व्यय		
प्रीमियम संबंधित		
नवीकरण	कोई परिवर्तन नहीं	
पॉलिसी संबंधित		
प्रीमियम भुगतान के लिए	प्रति पॉलिसी ₹ 30/- से वृद्धि	
लघुकृत प्रदत्त तथा एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए	प्रति पॉलिसी ₹ 15/- से वृद्धि	
सी) मुद्रास्फीति	कोई परिवर्तन नहीं	